

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026 Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 06, 2025

संख्या प.9(83)राज-1/2025-27402-Part:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जोधपुर जिले की तहसील कुडी भगतासनी एवं लूणी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरो/दाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			प्रस्तावित ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011 अनुसार	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011 अनुसार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जोधपुर / कुडी	झालामण्ड / लूणी	झालामण्ड LG CODE 84966	2571. 1442	15127	झालामण्ड उत्तर Jhalamand North	821.1 832	8198	2. 1	1749. 9610

2	भगता सनी	सांगरि या / लूणी	सांगरि या LG CODE 85021	923.3 642	17773	वीर तेजाजीनगर Veer Tejaji Nagar	294.9 975	6537	2. 5	628.3 667
3		पाल / लूणी	पाल LG CODE 85023	1873. 9451	16117	पाल पूर्व Pal East	614.6 814	4212	2	1259. 2637
4	जोधपु र / लूणी	फींच / धवा	फींच LG CODE 85629	2828. 5214	5742	फींच कलां Feench Kalan	378.5 416	831	1. 6	570.2 908
5						फींच खुर्द Feench Khurd	336.5 847	378	1. 1	
6						शिवनगर Shiv Nagar	514.2 411	204	4. 6	
7						सुभद्रा नगर Subhadra Nagar	251.1 790	268	1. 2	
8						मेरिया नगर Meriya Nagar	777.6 842	201	2. 9	

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, जोधपुर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।